बिहार सरकार
उद्योग विभाग

## संकल्प

राज्य के औद्योगिक विकास के क्रम निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उदेश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4389 दिनांक 26.09.2013 द्वारा कंपनी एक्ट/ सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधित Special Purpose Vehicle (S.P.V.) के माध्यम से निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के **क्रियान्वयन की प्रक्रिया** निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

1. निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा दिया जायेगा। इच्छुक उद्यमियों/भूधारी निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को उद्योग विभाग में समर्पित करेंगे तथा उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जायेगी।

2. सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के उपरांत SPV गठन एवं SPV को भूमि का मालिकाना हक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। योजना के अंतर्गत भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क के छूट हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

3. भूमि का मालिकाना हक को SPV के नाम पर हस्तांतरित किये जाने के पश्चात् SPV द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा Master Plan का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त PMA द्वारा किया जायेगा। PMA के अनुशंसा के आलोक में अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति (Project Assessment & Monitoring Committee) के समक्ष रखा जायेगा तथा PAMC द्वारा स्वीकृत परियोजना के आलोक में अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उक्त समिति की बैठक में SPV के निवेशकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

4. अनुदान सामान्यतः SPV के Matching contribution के आधार पर SPV द्वारा किए गए पूंजी निवेश (भूमि का मूल्य सम्मिलित) का 30 प्रतिशत अधिकतम 50 (पचास) करोड़ रूपये दिया जायेगा, जो कि निम्नवत् 04 किस्तों में दिया जायेगा। पहले किस्त में योजना के अंतर्गत SPV को कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत दिया जायेगा, इस शर्त के साथ की कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत यानी की जमीन के मूल्य को छोड़कर परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा कर लिया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। दूसरा किस्त योजना के अंतर्गत SPV को कुल देय अनुदान का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ देय होगा कि कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत का अतिरिक्त 20 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। उसी तरह तीसरा किस्त कुल देय अनुदान का 30 प्रतिशत इस शर्त के साथ देय होगा कि कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत का अतिरिक्त 30 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। चौथे किस्त में कुल देय अनुदान में से पहले तीन किस्तों में दिया जा चुका अनुदान को छोड़कर शेष अनुदान इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार

निजी औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना हेतु लागत का 100 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो और पूर्ण रूप से आधारभूत संरचना का कार्य संपन्न किया गया हो। किसी भी किस्त में अनुदान स्वरूप दिए जाना वाले राशि आधारभूत संरचना हेतु SPV द्वारा किए गए व्यय से अधिक नहीं होगा।

5. परियोजना का स्थल निरीक्षण PMA एवं संबंधित जिला के महाप्रबंधक तथा बियाडा के पदाधिकारी द्वारा करने के आधार पर अनुदान विमुक्ति की जायेगी।

6. भविष्य में निजी औद्योगिक क्षेत्र में वाह्य आधारभूत संरचना स्थापित करन के उद्देश्य से SPV द्वारा भूमि आवंटन से प्राप्त राशि का 5% तथा वार्षिक लाभ (Annual Net Profit) का 10% की राशि के अंशदान से Development Reserve Fund (DRF) तैयार किया जायेगा। Routine Maintenance हेतु SPV द्वारा ईकाइयों से लिए गए maintenance शुल्क के संचालन हेतु भी एक समिति गठित की जायेगी। SPV को दोनों समिति गठित कर विभाग को सूचित करना होगा। दोनों समिति में SPV के प्रतिनिधियों के अलावा उक्त औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र में स्थित ईकाइयों के प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे।

7 पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या ज्ञापांक 5533 दिनांक 19.12.13 को विलोपित समझा जाय।

**आदेश:** आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 784 पटना, दिनांक 03/03/2014

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

**प्रतिलिपि–** प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 784 पटना, दिनांक 03/03/2014

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

**प्रतिलिपि–** माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

Rajesh Khanna
उद्योग निदेशक 28.2.14
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 784 पटना, दिनांक 03/03/2014

**प्रतिलिपि–** आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

Rajesh Khanna
उद्योग निदेशक 28.2.14
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।